रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 1986/भाद्र 28, 1908
No. 208] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 1986/BHADRA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

डाकघर बचत बैंक खातों के धारकों के लिए इनामी प्रोत्साहन योजना

संख्या एफ. 2(20)/85-एन. एस.—इस मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 1973 को समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 3(II)-एन. एस./72 को, जो 16 अक्तूबर, 1973 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, एतद्द्वारा निम्नरूप से और आगे संशोधित किया जाता है :—

अन्त में निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए, अर्थात्-इनामी प्रोत्साहन योजना को समाप्त करना

इनामी प्रोत्साहन योजना को अक्तूबर, 1986 से समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात् इस योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 1986 से मार्च, 1987 तक की अवधि से संबंधित खातों के बारे में जुलाई, 1987 में इनामों के लिए ड्रा नहीं निकाला जाएगा और इसके बाद भी ड्रा नहीं निकाले जाएँगे ।

के. एस. शास्त्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 19th September, 1986

NOTIFICATION

Prize Incentive Scheme for Holders of Post Office Savings Banks Accounts.

No. F. 2|20|85-NS.—This Ministry's notification No. F. 3 (11)-NS|72 dated the 16th October, 1973 published in the Gazette of India Extraordinary dated the 16th October, 1973 as amended from time to time, is hereby further amended as under :—

The following paragraph may be added at the end, namely :—

Discontinuance of the Prize Incentive Scheme :

The Prize Incentive Scheme shall be discontinued with effect from October, 1986. That is to say that no draw for prizes under the Scheme shall be hold in July, 1987 covering the accounts during the period from October, 1986 to March, 1987 and the subsequent draws shall not be held.

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986